मु.नं.–13 / 2020 GCMS ID-2020/00026 ता.रजु–12.03.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

मनोहर लाल पुत्र श्रवण नाथ मु.पो.–हरीजन पाड़ा के पास, गणेश कॉलोनी, सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–19.08.2020

1. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस(कोविड–19) के कारण न्यायालय में सुनवाई स्थगित किये जाने से प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. उभय पक्षकारान को दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. उभयपक्षकारान् उपस्थित नहीं।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर कार्यालय SDM सपोटरा में BPL से संबंधित कार्यालय जिला परिषद करौली को भेजे गये पत्रांको के डिस्पैच रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि (दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 तक) तथा कार्यालय SDM सपोटरा से BPL में नाम जोड़ने हेतु जिला परिषद करौली को भेजे गये पत्रांको की प्रतिलिपि (दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 तक) आदि कुल 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–आरटीआई / 20 / 4630 दिनांक 10.08.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलाण्ट को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी है जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं प्राप्ति रसीद संलग्न प्रेषित की है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से एवं सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी के उपस्थित नही आने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.08.25 17:48:06 IST
Reason: SelfAttested